प्रेस नोट जनपद फतेहपुर दिनांक 25.09.2024

पुलिस मुठभेड़

फतेहपुर -अंतर्जनपदीय लूट से सम्बंधित वांछित शातिर अभियुक्त थाना ललौली क्षेत्रांर्तगत शिवरी तहबलपुर मोड़ बहद ग्राम शिवरी के पास पुलिस मुठभेड़ में घायल एक अवैध तमंचा व 01 खोखा कारतूस, 01 जिंदा कारतूस, 3050/- रुपये व एक अदद लूटी गयी सोने की चेन बरामद।

संक्षिप्त विवरण- श्रीमान् पुलिस अधीक्षक श्री धवल जायसवाल महोदय, जनपद फतेहपुर के द्वारा अपराध व अपराधियों व टॉप टेन अपराधियों तथा माफियाओं व वांछित व पुरस्कार घोषित अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अनुपालन में एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय, जनपद फतेहपुर के निकट पर्वेक्षण में व पुलिस उपाधीक्षक महोदय, जाफरगंज फतेहपुर के कुशल निर्देशन में थाना ललौली के पंजीकृत मु0अ0स0-201/2024 धारा-309(4) बीएनएस के वांछित अभियुक्त रोहित यादव पुत्र मुन्नू यादव निवासी रसूल पुर थाना बिन्दकी जनपद फतेहपुर व अभिषेक लोधी पुत्र रमेश लोधी निवासी कुन्दनपुर थाना बिन्दकी जनपद फतेहपुर की तलाश में प्रभारी निरीक्षक ललौली मय हमराह ,थानाध्यक्ष गाजीपुर मय हमराह व प्रभारी निरीक्षक एसओजी मय टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर दिनांक-25.09.2024 को अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु बिन्दकी से बांदा जाने वाली रोड़ पर शिवरी तहबलपुर मोड़ के पास चेकिंग की जा रही थी, समय लगभग 4.50 AM बजे चेकिंग के दौरान एक केटिएम मोटरसाईकिल से 02 व्यक्ति जोनिहां की तरफ से आते दिखाई दिये संदिग्ध प्रतीत होने पर उन्हे रोकने का प्रयास किया गया तो तेजी से गाड़ी वापस मोड़कर भागने का प्रयास किये, जिससे उसपर पीछे बैठा व्यक्ति गिर गया व मोटरसाइकिल चला रहा व्यक्ति वहां से भागने में सफल रहा। मोटर साइकिल से नीचे गिरा हुआ व्यक्ति पुलिस की तरफ लक्ष्य कर फायरिंग करने लगा, आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम द्वारा की गयी फायरिंग में अभि0 के पैर में गोली लगने से घायल हो गया, घायल अभियुक्त अपना नाम रोहित यादव पुत्र मुन्नू यादव निवासी रसूल पुर थाना बिन्दकी जनपद फतेहपुर बताया तथा फरार व्यक्ति का नाम अभिषेक लोधी पुत्र रमेश लोधी निवासी कुन्दनपुर थाना बिन्दकी जनपद फतेहपुर बताया मौके से अभियुक्त के पास से 01 अदद तमंचा 315 बोर, 01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर , 01 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर, 3050/- रुपये नगद, माल मशरुका लूटी गयी एक अदद सोने की चेन(सम्बंधित मु0अ0स0 201/2024 थाना ललौली) बरामद किये गये। अभियुक्त के घायल होने के कारण तत्काल ही पुलिस टीम द्वारा उपचार हेतु जिला अस्पताल फतेहपुर रवाना किया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 -202/2024 धारा 109 बी.एन.एस व 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है। अभियुक्त की गिरफ्तारी से अपराध व आपराधिक गतिविधियों मे अंकुश लगेगा।

घायल /गिरफ्तार अभियुक्त का नाम-पताः--

1. रोहित यादव पुत्र मुन्नू यादव निवासी रसूल पुर थाना बिन्दकी जनपद फतेहपुर उम्र करीब 22 वर्ष। (घायल)

फरार अभियुक्त-

1. अभिषेक लोधी पुत्र रमेश लोधी निवासी कुन्दनपुर थाना बिन्दकी जनपद फतेहपुर।

विवरण का बरामदगीः-

1.01 अदद तमंचा 315 बोर
2.01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर
3.01 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर
4.3050/- रुपये नगद
5.माल मशरुका लूटी गयी एक अदद सोने की चेन(सम्बंधित मु0अ0स0 201/2024 थाना ललौली)

मुकदमा जिसमें अभियुक्त वांछित-

मु0अ0स0 201/2024 धारा 309(4) बीएनएस थाना ललौली जनपद फतेहपुर।

अभियुक्त रोहित यादव का आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0स0 201/2024 धारा 309(4) बीएनएस थाना ललौली जनपद फतेहपुर।
2.मु0अ0सं0 -202/2024 धारा 109 बी.एन.एस व 3/25 आर्म्स थाना लौलौली जनपद फतेहपुर।

A-गिरफ्तारी करने वाली टीम थाना ललौली—

1. प्रभारी निरीक्षक बच्चेलाल प्रसाद
2. व0उ0नि0 संतोष मिश्रा
3. उ0नि0 विद्याप्रकाश सिंह
4. उ0नि0 सलीम खान
5. उ0नि0 एरिश पटेल
6. उ0नि0 नरेन्द्र कुमार
7. का0 नितिन यादव
8. का0 अशोक पटेल
9. का0 लोकेश कुमार
10. का0 सुशील कुमार यादव

B- गिरफ्तारी करने वाली टीम थाना गाजीपुर-

1. थानाध्यक्ष श्री विनोद कुमार मिश्रा गाजीपुर जनपद फतेहपुर
2. हे0का0 वेदमणि ओझा
3. का0 मानवेन्द्र सिंह

C- एसओजी टीमः-

1. निरीक्षक श्री विनोद कुमार यादव, प्रभारी एसओजी टीम
2. हे0कां0 अनिल कुमार
3. कां0 शैलेन्द्र कुशवाहा
4. कां0 अतुल तिवारी
5. कां0 अभिमन्यु पटेल
6. कां0 राहुल
7. का0 अमन